न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः— हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0:—299 / 2021 दायर दिनांक 26.07.2021

जीसीएमएस आई0डी0:—2021 / 330

1. तुलसीराम पुत्र लक्ष्मीनारायण
2. महेश पुत्र लक्ष्मीनारायण
3. विशम्भर पुत्र शिवराम
4. निराशा पत्नि द्वारिका
5. नीलम पुत्र द्वारिका

} जाति धाकड निवासी खेडिया रोड हिण्डौन जिला करौली

——सायलान—05

बनाम

1. द्वारिका प्रसाद पुत्र शिवराम
2. श्यामसुंदर पुत्र शिवराम

} जाति धाकड निवासी खेडिया रोड हिण्डौन हाल निवासी ईदगाह कॉलोनी आगरा

3. चिरोंजी पुत्री शिवराम पत्नि पुरण जाति धाकड निवासी बडानंगला झटामडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली

——गैरसायलान—04

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः—1. श्री हरिबल्लभ चतुर्वेदी वकील सायलान
2. श्री पी एल गोयल गैरसायल
3. श्री हुक्म सिंह गुर्जर गैरसायल

निर्णय दिनांकः—

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजी खसरा न0 3633 रकबा 38 ऐयर, खसरा न0 3681 / 1 रकबा 35 ऐयर, 3737 रकबा 19 ऐयर, 3890 रकबा 21 ऐयर, 3915 रकबा 27 ऐयर, 5583 रकबा 24 ऐयर, 5629 रकबा 03 ऐयर, 5724 रकबा 09 ऐयर, 5739 रकबा 13 ऐयर कुल किता 9 कुल रकबा 1.89 है0 वर्तमान खाता स0 2203 स्थित कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन है जिस खातेदार रखवलान व गैरसायल नां.ता है। उक्त आराजी पूर्णतः पैत्रिक व पुश्तैनी है जो सायलान व गैरसायलान को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है. उक्त आराजी का सायलान व गैरसायलान का स्वअर्जित नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:20:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उक्त आराजी में से खसरा नं. 5629 रकबा 03 ऐयर, 5724 रकबा 09 ऐयर, 5739 रकबा 13 ऐयर, कुल किता 3 कुल रकबा 25 ऐयर वाके कस्बा हिण्डौन पूर्व में शिवराम, तुलसीराम, महेश ने दीगर व्यक्ति को विक्रय कर दी है, खरीददार ने उक्त भूमि में प्लॉटिंग कर कॉलोनी बसा दी है. उक्त आराजी काश्त के लिए उपलब्ध नहीं है. केवल विकयपत्र पंजीबद्ध न होने के कारण वर्तमान में भी सायलान व गैरसायलान की खातेदारी में चल रही है, उक्त आराजी पर सायलान व गैरसायलान का कोई कब्जा नहीं है। शेष आराजीयात शामिल खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। सायला सं. 5 के हिस्से की आराजीयात 1/18 भाग को उसकी मां सायला सं. 4 निराशा देवी काश्त करती है तथा उससे ही अपना जीवनयापन करती है।

सायलान व गैरसायलान का वादग्रस्त आराजी का आज दिन तक कोई विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। वादग्रस्त आराजी संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि चली आ रही है जिसके कारण आये दिन परिवार में विवाद उत्पन्न होते हैं। गैरसायल सं. 1 द्वारिकाप्रसाद अपनी पत्नी व पुत्री के प्रति अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करता है। गैरसायल सं. 1 द्वारिकाप्रसाद के दिमाग पर उसकी भाभी श्यामसुन्दर की पत्नी चन्द्रवती देवी ने कब्जा कर रखा है तथा उसे हिण्डौन से बुलाकर अपने पास आगरा रख रखा है तथा उसके हिस्से की आराजीयात को हड़प करना चाहते है जबकि उसकी जायज कानूनी वारिसान उसकी पत्नी निराशा व उसकी पुत्री नीलम है तथा नीलम का अपने पिता की सम्पत्ति में जन्म से ही कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त है क्योंकि उका सम्पत्ति नीलम के पिता द्वारिका को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है। द्वारिकाप्रसाद को बिना किसी वैधानिक कारण के तथा बिना किसी लीगल नैतेसिटी के अपनी पैत्रिक पुश्तैनी आराजीयात को अन्य व्यक्ति को विक्रय करने, रहन वय एवं ट्रांसफर करने का या हकत्याग करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। गैरसायल सं. 1 के उक्त कृत्य के कारण साथल सं. 4 व 5 के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। सायल सं. 4 व 5 अपनी पैत्रिक पुश्तैनी आराजीयात से महरूम हो रही हैं। गैरसायल सं. 1 ने अपनी पत्नी व पुत्री के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है यहां तक कि निराशा द्वारा अपनी पुत्री नीलम का विवाह करने पर गैरसायल सं. 1 अपनी पुत्री नीलम के विवाह में उपस्थित तक नहीं हुआ था, ना ही अपने मां–बाप के [illegible] होने पर उनके अन्तिम संस्कार आदि में शामिल हुआ। गैरसायल सं. 1 [illegible] का नशा करता है तथा उसकी नशेबाजी का गैरसायल सं. 2 बेजा फायदा उठाने की फिराक में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:20:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गैरसायल सं. 1 ने बिना किसी लीगल नैसेसिटी के गैरसायल सं. 2 के हक में बिना प्रतिफल के सायला सं. 4 व 5 को उनके वैधानिक हक य हिस्से से वंचित करने के आशय से एक हकत्यागपत्र दिनांक 25.00.2021 को सब रजिस्ट्रार हिण्डीन के यहां पंजीबद्ध करवा दिया है जबकि उंक्त आराजी सावलान व गैरसायलान की पैत्रिक पुश्तैनी आराजीयात है, जिसमें सायलान का बाई बर्थ खातेदारी अधिकार है। गैरसायल सं. 1 को अपने नौशनल शेयर से अधिक भूमि का कोई भी अन्तरण दस्तावेज पंजीबद्ध करवाने का अधिकार नहीं है क्योंकि उक्त आराजी में सायल सं. 5 का जन्म से ही खातेदारी अधिकार हैं, उक्त हकत्यागपत्र तारीखी 25.06.2021 सायल के हक व हिस्से तक कानूनन एवइनिशियो नल एण्ड वोइड है तथा उक्त हकत्यागपत्र से गैरसायल सं. 2 को सायल से. 5 के हक व हिस्से तक कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन गैरसायल सं. 2 उक्त हकत्यागपत्र के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी से गैरसायल सं. 1 का नाम हटवाकर खातेदारी के कॉलम में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है जिसका नामान्तकरण भी प्रक्रियाधीन है, सायल सं. 5 के हक व हिस्से को तय किये बिना गैरसायल सं. 2 को उक्त एवइनिशियो नल एण्डड वोइड हकत्यागपत्र के आधार पर नामान्तकरण खुलवाने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। सायल सं. 5 अपने पिता के नाम दर्ज पैत्रिक पुश्तैनी आराजीयात में 1/2 हिस्से की खातेदार टीनेन्ट है तथा वह अपने उक्त स्टेटस को माननीय न्यायालय से घोषित करवाने की अधिकारी है। उक्त हकत्यागपत्र पूरी तरह फोर्ड, फाल्स व फेब्रिकेटेड है जिस पर गैरसायल सं. 1 के कोई हस्ताक्षर नहीं है, उक्त हस्ताक्षर फर्जी हैं तथा गैरसायल सं. 1 को मुगालता व धोखा देकर नशा करवाकर उसे बिना बताये तत्का हकत्यागपंत्र (रिलीज डीड) पंजीबद्ध करवायी गयी है जिससे गैरसायल सं. 2 के हक में कोई कानूनी अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। सायला सं. 5 वादग्रस्त आराजीयात में अपने पिता को प्राप्त हिस्से में से 1/2 हिस्से की खातेदार टीनेन्ट घोषित करवाने की अधिकारी है तथा सायलान वादग्रस्त आराजी का अपने हक व हिस्से के अनुसार विधिवत विभाजन करवाने तथा अलग अलग खाते कायम करवाने के अधिकारी है। सायलान ने दिनांक 23.07.2021 को गैरसायलान से वादग्रस्त आराजीयात का विधिवत विभाजन करवाने के लिए कहा तो गैरसायलान सं. 1 ता 3 ने इन्कार कर दिया एवं बिना विधिवत विभाजन करवाये वादग्रस्त आराजीयात को अन्य दीगर व्यक्तियों को रहन वय व ट्रांसफर करने की धमकी दी एवं सायलान को उनके हिस्से से बेदखल करने की भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:20:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

धमकी दी, इसलिए सायलान को यह प्रार्थनापत्र बावत अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

गैरसायलान तब तक अपनी उक्त बेजा हरकतों से बाज नहीं आयेंगे जब तक कि उन्हें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद नहीं फरमाया जावेगा, पाबंद न करने की सूरत में सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी द्रव्य से भी संभव नहीं हो सकेगी। जबकि गैरसायलान को पाबंद किये जाने से उन्हें कोई क्षति नहीं होगी। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन, अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को दौराने दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबंद फरमाया जाये कि वे आराजी खसरा नं. 3638 रकबा 38 ऐयर, खसरा नं. 3681/1 रकबा 35 ऐयर, खसरा नं. 3737 रकबा 19 ऐयर, खसरा नं. 3890 रकबा 21 ऐयर, खसरा नं. 3915 रकबा 27 ऐयर, खसरा नं. 5583 रकबा 24 ऐयर, खसरा नं. 5629 रकबा 03 ऐयर, खसरा नं. 5724 रकबा 09 ऐयर, खसरा नं. 5739 रकबा 13 ऐयर, कुल किता 9 कुल रकबा 1. 89 हैक्टेयर, वर्तमान खाता सं. 2203 स्थित कस्बा हिण्डौन, तहसील हिण्डौन में से सायलान को उनके हिस्से की आराजीयात के उपयोग उपभोग, कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे, सायलान को उनके हिस्से से बेदखल नहीं करे, बिना विधिवत विभाजन करवाये वादग्रस्त आराजीयात को रहन, वय ट्रांसफर या हकत्याग नहीं करे, तथा गैरसायल नं. 4 तहसीलदार हिण्डौन को भी पाबंद फरमाया जावे कि वह दौराने दावा वादग्रस्त आराजी में से गैरसायल नं. 1 के हिस्से बावत एवइनिशियो नल एण्ड वोइड हकत्यागपत्र के आधार पर गैरसायल नं. 2 के हक में कोई नामान्तकरण तस्दीक नहीं करे। गैरसायलान ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे सायलान के हक हकूकों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े। गैरसायलान रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। सायल न0 1 की ओर से श्री हुकम सिंह गुर्जर अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया एवं सायल न0 2 की ओर से श्री पी एल गोयल अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। जवाब पेश किया जो निम्नानुसार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:20:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

1. सायलान द्वारा गैरसायलान के विरूद्ध उपरोक्त उनवान का एक दावा/प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय में पेश करना सही है, लेकिन उसमें सायलान को सफलता मिलने की लेशमात्र भी उम्मीद नहीं है।

2. प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 02 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। सायलान एवं गैरसायलान कोई एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य नहीं है, बल्कि प्रत्येक का खानपान रहन–सहन अलग–अलग है अर्थात सायल नम्बर 01 व 02 व 03 का खानपान रहन–सहन अलग–अलग है तथा सायल नम्बर 04 का भी खानपान व रहन–सहन अलग–अलग हैं। प्रत्येक के अलग–अलग राशनकार्ड हैं व अलग–अलग कारकमाई है तथा गैरसायल नम्बर 02 की कारकमाई बिल्कुल अलग है और वह वर्तमान में आगरा उत्तरप्रदेश में परिवार सहित रिहायश करता है। क्योंकि गैरसायल नम्बर 02 अपने रोजगार की आर्थिक समस्या के कारण करीब 35 साल पूर्व हिण्डौन को छोड़कर आगरा (उत्तर प्रदेश) में जाकर बस गये और वहीं पर मेहनत–मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं तथा उसके कुछ समय अर्थात 4–5 साल बाद गैरसायल नम्बर 01 को भी सायल नम्बर 04 व 05 ने अन्य सायलान के साथ मिलकर व मारपीट कर व उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर हिण्डौन से भगा दिया और वह भी करीब 28–30 साल पूर्व से गैरसायल नम्बर 02 के साथ आगरा में आकर उसके साथ रहने लग गया, जिसे गैरसायल नम्बर 02 ने अपना खास भाई होने के नाते अपने पास आगरा रखा जो वर्तमान में गैरसायल नम्बर 02 के साथ ही रिहायश करता है तथा गैरसायल नम्बर 02 द्वारा ही गैरसायल नम्बर 01 की देखभाल की जाती है और उसके द्वारा ही गैरसायल नम्बर 01 का खानपान, दवाई, ईलाज आदि की व्यवस्था की जा रही है। इसलिये सायलान एवं गैरसायल नम्बर 01 व 02 का एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, बल्कि अलग–अलग परिवार प्रारम्भ से रहे हैं तथा उक्त मद में लक्ष्मीनारायण का सजरा गलत किया गया है। सायल नम्बर 05, गैरसायल नम्बर 01 द्वारिका के संसर्ग से पैदा हुई कोई पुत्री नहीं है, सजरे में उसे द्वारिका की पुत्री बिल्कुल गलत अंकित किया है। इस प्रार्थना पत्र सायलान बिल्कुल गलत व झूंठे तथ्यों के आधार पर तथा वास्तविक तथ्यों को छिपाकर अनक्लीन हैण्ड से दायर किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:20:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

3. प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 03 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। उक्त मद में दर्ज आराजीयात कुल किता 9 कुल रकवा 1.89 हैक्टेयर स्थित कस्बा हिण्डौन, जिसका राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में वर्तमान खाता संख्या 2203 है, जिसमें गैरसायल संख्या 01 का कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि उक्त आराजीयात में गैरसायल नम्बर 02 श्यामसुन्दर का 2/9 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है अर्थात् गैरसायल नम्बर 02 उक्त आराजीयात में 2/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। सायलान द्वारा उक्त मद में गैरसायल नम्बर 01 की खातेदारी की भूमि होना बिल्कुल गलत दर्ज किया है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड के उक्त खाते की जमाबंदी में गैरसायल नम्बर 01 की कोई खातेदारी दर्ज नहीं है, जो कि जमाबंदी संवत् 2071 से 74 से भलीभांति स्पष्ट है। उक्त आराजीयात सायलान की कोई पैतृक आराजीयात नहीं है, क्योंकि सायल संख्या 04, गैरसायल नम्बर 01 की पत्नी है, इसलिये गैरसायल नम्बर 01 के जीवनकाल में सायल संख्या 04 की उक्त आराजीयात पुश्तैनी होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसके अतिरिक्त गैरसायल नम्बर 01 जो कि सायल नम्बर 04 का पति है जिसे सायल नम्बर 01, तुलसीराम तथा महेश, राजू, पवन, दयाल जो गैरसायल नम्बर 01 के कुटुम्बी हैं के साथ मिलकर उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित कर व उसके साथ मारपीट कर विगत 28–30 वर्ष पूर्व हिण्डौन से भगा दिया जो करीब 28–30 साल से ही अपने खास भाई श्यामसुन्दर के पास आगरा रिहायश कर रहा है और श्यामसुन्दर के द्वारा ही उसकी सम्पूर्ण देखभाल व खानपान आदि की व्यवस्था की जा रही है, ऐसी स्थिति में द्वारिका प्रसाद के संसर्ग से सायल नम्बर 04 से सायल नम्बर 05 के उत्पन्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिये विवादित आराजीयात सायल नम्बर 05 की पैतृक आराजीयात होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, इसलिये सायलान की उक्त मद में वर्णित कोई आराजीयात पैतृक आराजीयात नहीं है और ना ही उक्त कारण से विवादित आराजीयात सायलान की कोई पैतृक आराजीयात है तथा उक्त मद में वर्णित आराजीयात गैरसायल संख्या 01 व 02 की पैतृक आराजीयात होना सही है। सायलान एवं गैरसायल नम्बर 01 व 02 कोई एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य नहीं हैं। प्रार्थना पत्र सायलान बिल्कुल गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर दायर किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:20:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

4. प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 04 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर 5629 रकवा 3 ऐयर व खसरा नम्बर 5724 रकवा 9 ऐयर व खसरा नम्बर 5739 रकवा 13 ऐयर कुल किता 3 कुल रकवा 25 ऐयर स्थित कस्बा हिण्डौन को पूर्व में शिवराम, तुलसीराम व महेश द्वारा दीगर व्यक्ति को विक्रय करने का कानूनन कोई अधिकार हासिल नहीं है और ना ही उक्त मद में वर्णित खसरा नम्बरान की चुकती भूमि के तुलसी, महेश व शिवराम खातेदार काश्तकार हैं, इसलिये ये उक्त खसरा नम्बरान की सम्पूर्ण 25 ऐयर भूमि को विक्रय करने के कानूनन अधिकारी नहीं है और ना ही इस प्रकार कानूनन उक्त भूमि का विक्रय हो सकता है, जब उक्त लोगों द्वारा उक्त भूमि को विक्रय करने का कानूनन अधिकार हासिल नहीं है तो ऐसी स्थिति में किसी खरीदार द्वारा उक्त सम्पूर्ण भूमि को खरीदने एवं उसमें प्लाटिंग कर कॉलानी बसाने का प्रश्न पैदा नहीं होता। सायलान ने उक्त मद में किसी खरीदार का कोई नाम व पता नहीं बताया और ना ही कॉलोनी में बसे किन्हीं लोगों के नाम व पते अंकित किये हैं तथा वादीगण ने उक्त मद में यह तथ्य भी नहीं बताया कि उक्त विक्रय का वयनामा किस कारण से पंजीबद्ध नहीं हुआ और ना ही कोई विक्रय का दस्तावेज पेश किया है, इसके अतिरिक्त उक्त भूमि आज दिन तक राजस्व रिकॉर्ड में काश्त की भूमि दर्ज है तथा उक्त भूमि का आबादी के लिये कोई कन्वर्जन नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में उक्त खसरा नम्बरान में कॉलोनी बसने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता तथा उक्त भूमि आज भी राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदारी की भूमि है तथा मुताबिक मौका व जमाबंदी उक्त खसरा नम्बरान में गैरसायल नम्बर 02 की खातेदारी व उसका हिस्सा अंकित है, जिस पर वह मौके पर काबिज व दखील है तथा शेष आराजीयात सायलान की कोई शामिल खातेदारी की भूमि नहीं है तथा सायल संख्या 05 का कोई वाईबर्थ खाता संख्या 2203 में कोई 1/18 हिस्से की कानूनन खातेदार नहीं है, क्योंकि शिवराम के 4 संतानें एक पुत्री चिरोंजी व तीन पुत्र विशम्भर, श्यामसुन्दर व द्वारिका हुए तथा शिवराम के 1/3 हिस्से में उसके चारों वारिसों का 1/12–1/12 हिस्सा रहा तथा चिरोंजी ने अपने 1/12 हिस्से में अपना 1/3 हिस्सा यानि 1/36 हिस्से की रिलीज दिनांक 16.12.2019 को गैरसायल नम्बर 01 के हक में पंजीबद्ध करा दी। इस प्रकार उक्त आराजी में गैरसायल नम्बर 01 का हिस्सा 1/12+1/36=1/9 हुआ,

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:20:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

इस प्रकार गैरसायल नम्बर 01 को उक्त आराजी में 1/36 भाग अपनी बहिन चिरोंजी से प्राप्त हुआ है जो उसकी निजी सम्पत्ति है, जिससे किसी व्यक्ति का कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है और कानूनन सायल नम्बर 05, गैरसायल नम्बर 01 के किसी भी हिस्से में वाईबर्थ कोई अधिकार किसी प्रकार का नहीं रखती तो ऐसी स्थिति में उसके किसी तथाकथित हिस्से को उसके विहाफ पर सायल संख्या 04 द्वारा काश्त करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, प्रार्थना पत्र सायलान बिल्कुल गलत व विधि विरुद्ध दायर किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

5. प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 05 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। सायला संख्या 05, गैरसायल नम्बर 01 के संसर्ग से पैदा हुई कोई पुत्री नहीं है, गैरसायल नम्बर 01 की जब सायला नम्बर 05 उक्तानुसार पुत्री ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में गैरसायल नम्बर 01 के उसके प्रति कोई वैधानिक दायित्व उत्पन्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता और ना ही उनके निर्वहन का प्रश्न पैदा होता है, बल्कि वास्तविकता यह है कि गैरसायल नम्बर 01 की पत्नी सायल नम्बर 04 अच्छे चाल–चलन की स्त्री नहीं है और इस सम्बंध में पूर्व में गैरसायल नम्बर 01 द्वारा सायल नम्बर 04 की रोकाटोकी करने पर सायल नम्बर 04 ने गैरसायल नम्बर 01 के कुटुम्बीजन तुलसी, महेश, राजू, पवन व दयाल आदि के साथ मिलकर मारपीट कर 28–30 साल पूर्व हिण्डौन से भगा दिया, जिस पर गैरसायल नम्बर 01 अपने खास भाई गैरसायल नम्बर 02 श्यामसुन्दर के यहां आगरा में जाकर रहने लग गया और गैरसायल नम्बर 02 द्वारा ही उसके खानपान व रहने करने की व्यवस्था की जा रही है। गैरसायल संख्या 01 के दिमाग पर उसकी भाभी चन्द्रवती ने कोई कब्जा नहीं कर रखा है और ना ही उसे हिण्डौन से बुलाकर आगरा अपने पास रख रखा है और ना ही उसके हिस्से की आराजीयात को हड़प करना चाहते हैं, बल्कि वास्तविकता यह है कि गैरसायल नम्बर 01 की सम्पत्ति को सायल संख्या 04, सायल संख्या 05 का सहारा लेकर हड़प करना चाहती है और इसी गरज से उसने दिनांक 11.05.2012 को थाना हिण्डौन पर रोजनामचा रपट गैरसायल नम्बर 01 की झूंठी लापता होने पर उसके जिन्दा या मरे होने की कोई जानकारी नहीं होने की रपट अंकित करायी कि उक्त रिपोर्ट की पुलिस तफ्तीश की रिपोर्ट के आधार पर गैरसायल नम्बर 01 को मरा साबित करके

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:20:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उसके हिस्से की खातेदारी अपने नाम करा लें, जिसमें वह सफल नहीं हो सकी, इस कारण गैरसायल नम्बर 01 के कोई जायज कानूनी वारिस सायल नम्बर 04 व 05 नहीं है और ना ही नीलम का गैरसायल नम्बर 01 की सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई विरासती कानूनी अधिकार है। जब नीलम, गैरसायल नम्बर 01 के संसर्ग से उत्पन्न है ही नहीं तो उसे गैरसायल नम्बर 01 की विरासत प्राप्त होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, कानूनन खातेदार को अपनी सम्पत्ति को अपनी आवश्यकता हेतु किसी भी प्रकार से अन्तरण करने का कानूनन हक प्राप्त है तथा गैरसायल नम्बर 02 द्वारा गैरसायल नम्बर 01 की समस्त व्यवस्थाएं रहन–सहन, खान–पान दवाई आदि की समय–समय पर नियमित रूप से की जा रही हैं, जिसकी सेवाओं के फलस्वरुप गैरसायल नम्बर 01 ने अपने हिस्से की आराजीयात के रिलीजडीड गैरसायल नम्बर 02 के हक में बिल्कुल सही व मुताबिक कानून करायी है। सायलान की कोई पैतृक आराजीयात जब है ही नहीं तो उससे उन्हें महरूम होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता तथा सायल नम्बर 04 द्वारा गैरसायल नम्बर 01 को सायल नम्बर 05 की शादी की कोई जानकारी कभी नहीं दी गई तो ऐसी स्थिति में गैरसायल नम्बर 01 का शादी में आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता तथा गैरसायल नम्बर 01 अपने मां–बाप के स्वर्गवास होने पर उनके अंतिम संस्कार व सभी क्रियाकलापों में शामिल रहा है, गैरसायल नम्बर 01 कोई भांग, गांजे का नशा नहीं करता, जब वह किसी प्रकार नशा करता ही नहीं है तो गैरसायल संख्या 02 द्वारा उसका कोई फायदा उठाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। गैरसायल संख्या 01 को उसकी भाभी चन्द्रवती ने कोई मोहजाल में नहीं फंसा रखा है, बल्कि गैरसायल संख्या 01, सायलान व अपने परिवारजनों से प्रताड़ित होकर दर–दर भटककर व थक हारकर गैरसायल नम्बर 02 के पास आगरा में जाकर रहने लगा है, चन्द्रवती देवी की सायल संख्या 05 के हिस्से की किसी आराजीयात का हकत्याग या कोई अंतरण का दस्तावेज पंजीबद्ध कराकर हड़पने की कोई मंशा कभी नहीं रही, जब सायल संख्या 05 के हिस्से की कोई आराजीयात है ही नहीं तो उसे चन्द्रवती देवी द्वारा हड़पने की मंशा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, गैरसायल संख्या 01 आगरा में कोई कमाई नहीं करता, बल्कि वह अक्सर बीमार रहता है, पूर्व में उसके फेंफडों में पानी भर गया, जिसके कारण वह काफी समय बैड पर रहा है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:20:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जिसकी समस्त दवाईयां, अन्य खर्चे व देखभाल गैरसायल संख्या 02 व उसके परिवारजनों ने की तो ऐसी स्थिति में चन्द्रवती व उसके परिवारजन द्वारा गैरसायल नम्बर 01 की कमाई को हड़पने का प्रश्न पैदा नहीं होता। सायलान को इस तथ्य की जानकारी होते हुए कि द्वारिकाप्रसाद आगरा में रिहायश कर रहा है, कभी भी उसके हालचाल जानने व उसकी कुशलक्षेम पूछने नहीं आये, जिससे भी सायल नम्बर 04 व 05 की गैरसायल नम्बर 01 के प्रति दुर्भावना की मनोस्थिति जाहिर होती है। सायल नम्बर 04 व 05 की जब कोई पुश्तैनी पैतृक आराजीयात है ही नहीं तो उस पर उनके आश्रित होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, प्रार्थना पत्र सायलान बिल्कुल बनावटी व झूंठे तथ्यों के आधार पर दायर किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

6. प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 06 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत है व अस्वीकार है। गैरसायल नम्बर 01 ने गैरसायल संख्या 02 के हक में मुताबिक कानून दिनांक 25.06.2021 को अपने हिस्से की भूमि का सब रजिस्ट्रार हिण्डौन के यहां हकत्याग पत्र पंजीबद्ध कराया है तथा कानूनन हकत्याग पत्र के लिये लीगल नैसिसिटी व प्रतिफल की कहीं कोई आवश्यकता नहीं होती तथा सायल संख्या 04 व 05 का विवादित भूमि में जब कोई वैधानिक हक व हिस्सा है ही नहीं तो प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उनके किसी तथाकथित हक व हिस्से से महरूम करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वादी नम्बर 04 व 05 की विवादित आराजीयात कोई पुश्तैनी पैतृक आराजीयात नहीं है और ना ही उनका उक्त आराजीयात में कोई बाईवर्थ खातेदारी अधिकार है तथा गैरसायल संख्या 01 ने मुताबिक कानून अपने हिस्से की भूमि का बिल्कुल सही दस्तावेज हकत्याग पत्र गैरसायल नम्बर 02 के हक में विधि अनुसार पंजीबद्ध कराया है, जिसके पंजीबद्ध कराने का गैरसायल नम्बर 01 को विधिक अधिकार प्राप्त रहा है, जिसके आधार पर ही सब रजिस्ट्रार हिण्डौन उक्त हकत्याग पत्र पंजीबद्ध किया है। सायल संख्या 05 का विवादित आराजीयात में जन्म से ही कोई खातेदारी अधिकार नहीं है और ना ही उसके किसी तथाकथित हक व हिस्से तक कानूनन हकत्याग पत्र नल एण्ड वोइड है तथा मुताबिक कानून व मुताबिक हकत्याग पत्र गैरसायल संख्या 02 की उक्त आराजीयात में गैरसायल संख्या 01 के स्थान पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये, जिसका नामांतकरण नियमानुसार तस्दीक किया जाकर उक्त हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:20:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गैरसायल नम्बर 02 के नाम दर्ज हो गयी। सायल संख्या 05 का विवादित आराजीयात में जब कोई हक व हिस्सा है ही नहीं तो उसके तय होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कानूनन सायल संख्या 05, गैरसायल नम्बर 01 के नाम दर्ज आराजीयात में कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने की किसी प्रकार से कानूनी अधिकारी नहीं है और ना ही गैरसायल नम्बर 01 के हिस्से की भूमि में उसका कोई 1/2 हिस्सा है और ना ही वह न्यायालय से अपना कोई तथाकथित स्टेटस घोषित कराने की अधिकारी है और ना ही राजस्व न्यायालय को ऐसा कोई स्टेटस घोषित करने का कानूनन कोई अधिकार प्राप्त है। हकत्याग पत्र कोई फोर्ज, फाल्स व फैबरीकेटेड नहीं है और ना ही उस पर गैरसायल नम्बर 01 के कोई फर्जी हस्ताक्षर हैं, बल्कि स्वयं गैरसायल नम्बर 01 ने अपनी पूर्ण सहमति व स्वेच्छा से गैरसायल नम्बर 02 के हक में हकत्याग पत्र तहरीर कराकर सब रजिस्ट्रार हिण्डौन के यहां पंजीबद्ध कराया है। गैरसायल संख्या 01 को कोई मुगालता या धोखा देकर व नशा कराकर उसे बिना बताये रिलीज डीड पंजीबद्ध नहीं करवायी है, बल्कि रिलीजडीड गैरसायल नम्बर 01 ने गैरसायल नम्बर 02 के हक में नियमानुसार सोच–समझकर स्वस्थ चित्त व स्थिर बुद्धि से तथा पूर्ण सहमति व होशहवास में तहरीर करवाकर उसे सब रजिस्ट्रार हिण्डौन के यहां पंजीबद्ध करवाया है, जिसके आधार पर गैरसायल संख्या 02 को मुताबिक कानून गैरसायल संख्या 01 की भूमि के हिस्से के सम्बंध में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये तथा उसके आधार पर गैरसायल नम्बर 02 के हक में नामांतकरण तस्दीक होकर उसके हक में खातेदारी दर्ज हो गयी। सायल सख्या 05 विवादित भूमि में कोई 1/2 हिस्से की खातेदारी व उसका विभाजन कराने की कानूनन अधिकारी नहीं है, कानूनन रिलीजडीड पंजीकृत दस्तावेज है, जब तक उक्त दस्तावेज सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जा सकता, तब तक उक्त भूमि के सम्बंध में सायला नम्बर 05 को कानूनन कोई अधिकार हासिल नहीं होते तो ऐसी स्थिति में सायला संख्या 04 व 05 को उक्त दावा/प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दायर करने का कानूनन कोई हकहकूक हासिल नहीं है तो ऐसी स्थिति में गैरसायलान [illegible] दिनांक 23.07.2021 को वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन [illegible] का प्रश्न ही पैदा नहीं होता तथा सायल संख्या 04 व 05 का जब विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:20:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

तथा उस पर कोई कब्जा है ही नहीं तो उनके द्वारा विवादित आराजीयात के विभाजन की कहने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता और ना ही उक्त मद में वर्णित धमकी गैरसायल संख्या 01 ता 03 द्वारा देने का प्रश्न ही पैदा होता है, प्रार्थना पत्र सायलान बिल्कुल गलत दायर किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

7. प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 07 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत है व अस्वीकार है। उक्त आराजी जब सायलान के कब्जेकाश्त की है ही नहीं तो उसमें गैरसायलान द्वारा बाधा उत्पन्न करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो सायलान को किसी प्रकार की कोई अपूर्तनीय क्षति नहीं होगी, बल्कि गैरसायलान को पाबन्द करने से उन्हें अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। गैरसायल नम्बर 02 विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार है, कानूनन खातेदार को पाबन्द नहीं किया जा सकता, प्रार्थना पत्र सायलान खारिज होने योग्य है।
8. प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 08 गलत है व अस्वीकार है। सायलान के हक में कोई प्रथम दृष्ट्या केस व सुविधा का संतुलन तथा अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु साबित नहीं है, प्रार्थना पत्र सायलान खारिज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र सायलान कहने के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। रिलीजडीड तारीखी 25.06.2021 के अस्तित्व में होने से सायलान को उक्त दावा/प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दायर करने का कानूनन कोई अधिकार हासिल नहीं है, इसलिये प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र सायलान पर्याप्त न्याय शुल्क पर पेश नहीं होने से कानूनन पोषणीय नहीं है और खारिज किये जाने योग्य है। गैरसायल नम्बर 01 विवादित आराजीयात में कोई खातेदार नहीं होने से कानूनन उसके विरुद्ध दावा/प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हाजा चलने योग्य नहीं है तथा प्रकरण में उसे वादीगण/सायलान द्वारा अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है, इसलिये प्रार्थना पत्र सायलान मिस जोइन्डर ऑफ पार्टीज के नुक्स के कारण खारिज होने योग्य है। जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:20:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए अपने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी 2071—74 खाता संख्या 2203 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन, रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 25.06.2021 पेश किये।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया, वकील सायलान ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबंद फरमाया जाये कि वे आराजी खसरा नं. 3638 रकबा 38 ऐयर, खसरा नं. 3681/1 रकबा 35 ऐयर, खसरा नं. 3737 रकबा 19 ऐयर, खसरा नं. 3890 रकबा 21 ऐयर, खसरा नं. 3915 रकबा 27 ऐयर, खसरा नं. 5583 रकबा 24 ऐयर, खसरा नं. 5629 रकबा 03 ऐयर, खसरा नं. 5724 रकबा 09 ऐयर, खसरा नं. 5739 रकबा 13 ऐयर, कुल किता 9 कुल रकबा 1.89 हैक्टेयर, वर्तमान खाता सं. 2203 स्थित कस्बा हिण्डौन, तहसील हिण्डौन में से सायलान को उनके हिस्से की आराजीयात के उपयोग उपभोग, कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे, सायलान को उनके हिस्से से बेदखल नहीं करे, बिना विधिवत विभाजन करवाये वादग्रस्त आराजीयात को रहन, वय ट्रांसफर या हकत्याग नहीं करे, तथा गैरसायल नं. 4 तहसीलदार हिण्डौन को भी पाबंद फरमाया जावे कि वह दौराने दावा वादग्रस्त आराजी में से गैरसायल नं. 1 के हिस्से बावत एवइनिशियो नल एण्ड वोइड हकत्यागपत्र के आधार पर गैरसायल नं. 2 के हक में कोई नामान्तकरण तस्दीक नहीं करे। गैरसायलान ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे सायलान के हक हकूकों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े। गैरसायलान रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया। वकील गैरसायलान ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि प्रार्थना पत्र सायलान कब्जे के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। रिलीजडीड तारीखी 25.06.2021 के अस्तित्व में होने से सायलान को उक्त दावा/प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दायर करने का कानूनन कोई अधिकार हासिल नहीं है, इसलिये प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र सायलान पर्याप्त न्याय शुल्क पर पेश नहीं होने से कानूनन पोषणीय नहीं है और खारिज किये जाने योग्य है। गैरसायल न[illegible] विवादित आराजीयात में कोई खातेदार नहीं होने से कानूनन [illegible] / प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हाजा चलने योग्य नहीं है तथा प्रकरण में उसे [illegible]दीगण/सायलान द्वारा अनावश्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:20:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रूप से पक्षकार बनाया गया है, इसलिये प्रार्थना पत्र सायलान मिस जोइन्डर ऑफ पार्टीज के नुक्स के कारण खारिज होने योग्य है। जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायलान मय खर्चा खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नकल जमाबंदी 2071–74 खाता संख्या 2203 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन, रजिस्ट्रर्ड रिलीज डीड दिनांक 25.06.2021 के सायलान एवं गैरसायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि के संबंध में सायल संख्या 4 व 5 ने रिलीज डीड को निरस्त कराने का दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी नीलम बनाम द्वारिका आदि सिविल न्यायालय में दायर किये गये थे जिनमें प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा न0 58/2021 में दिनांक 07.11.2023 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश क्रम संख्या 1 हिण्डौन द्वारा मेरिट पर खारिज कर दिया गया व स्वीकृत रूप से उक्त प्रकरण का दावा भी न्यायालय में खारिज हो चुका है। इसलिये संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जावे। ऐसी स्थिति में रिकोर्डेड सहखातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है।इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस सायल के पक्ष में साबित नहीं होता है और ना ही सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में नजर आता है। बल्कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से फैंसला दावा पाबन्द किये जाने पर गैरसायलान जो कि विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं कब्जा काश्त पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। जिससे प्रकरण पृथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान अस्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खसरा नं. 3638, 3681/1, 3737, 3890, 3915, 5583, 5629, 5724, 5739 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में मौका पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:20:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

यथास्थिति बनाये रखने के संबंध में दिनांक 28.07.2021 को जारी अंतरिम स्थगन आदेश विड्रॉ किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 4/6/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन
4/6/25

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:20:27 IST
Reason: SelfAttested